संख्या-3669/33-3-2017-189/2017

प्रेषक,

प्रमांशु,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।**
3. **समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।**

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 11 अगस्त, 2017

विषयः-दिनांक 15 अगस्त, 2017 को **"भारत छोड़ो आन्दोलन"** की 75वीं वर्षगांठ को **'संकल्प पर्व'** के रूप मे मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, पंचायतीराज/ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-J-11011/78/2017-मीडिया, दिनाक 07 अगस्त, 2017 (प्रति सलग्न) का कृपया सदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा इस वर्ष 15 अगस्त, 2017 को **"भारत छोडो आन्दोलन"** की 75वी वर्षगांठ को **'संकल्प-पर्व'** के रूप में मनाये जाने के संबंध मे निर्देश निर्गत किए गए है।

उक्त निर्देशों में यह उल्लेख किया गया है कि इस वर्ष देश "भारत छोडो आन्दोलन" की 75वीं वर्षगाठ पूर्ण कर रहा है एव अगस्त, 2022 में स्वतंत्र भारत के रूप में अपनी 75वीं वर्षगाठ गनायेगा। अगस्त 2022 तक आने वाले पांच वर्षो ने हमे यह अवसर दिया है कि हम एक साथ आए, विकास के लिए काम करें एवं भारत को एक विकसित देश के रूप में विकसित होने में मदद करें, इसीलिए 15 अगस्त, 2017 को "संकल्प पर्व"/"सकल्प की प्राप्ति" के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि वर्ष 2022 तक देश एक निश्चित परिवर्तित प्राप्ति/"सिद्धि" को प्राप्त कर सके। इन पांच सालों की अवधि में बदलाव की लौ को इस प्रकार प्रज्ज्वलित करना है जिससे कि हमारे स्वतत्रता सेनानियो को हम पर गर्व हो सके। उक्त के सम्बन्ध में इस माह से एक नये जन आन्दोलन-**"संकल्प से सिद्धि"** से **"संकल्प की प्राप्ति"** के आरम्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि-

1. 15 अगस्त, 2017 को प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के साथ प्रातःकाल मे प्रभात फेरियॉ निकाली जाये, जिसमें सभी विद्यालयों के छात्र, स्थानीय युवा, स्वयं सहायता समूह के सदस्य तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमो के लाभार्थी उपस्थित हों।
2. सभी ग्राम पंचायतो में ग्राम सभाओ का आयोजन किया जाय, जिसमे समस्त ग्रामवासी यह शपथ लें कि वह 06 सामाजिक बुराईयों (गंदगी, गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद व साम्प्रदायिकता) को दूर करेंगे और देश के निर्माण मे साक्षी बनेंगे। भारत सरकार से प्राप्त संकल्प-पत्र का प्रारूप जनपदो को इस आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है कि जनपद स्वय के स्त्रोतो से संकल्प-पत्र की प्रतियॉ कराकर प्रत्येक ग्राम-सभा सदस्यों को उपलब्ध कराएं।
3. सभी ग्राम सभा सदस्य संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे एवं इसके लिए व्यक्तिगत शपथ-पत्र पर उपलब्ध कॉलम का उपयोग किया जा सकता है।

4. जनपदों का यह दायित्व होगा कि समस्त ग्राम पंचायतों से संकल्प पत्र एकत्र कर व्यक्तिगत शपथ–पत्र का विश्लेषण कर राज्य को उपलब्ध करायेगें।

5. शपथ ग्रहण के पश्चात "नवीन भारत मंथन" पर एक गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा, जिसमें सभी ग्राम सभा सदस्य यह विचार करेंगे कि वर्ष 2022 में वे किस प्रकार के भारत को देखना चाहेंगे एवं उसमें वह अपना योगदान किस प्रकार देखते हैं?

6. ग्राम्य विकास विभाग से ग्राम्य रोजगार सहायक, सामुदायिक सन्दर्भ व्यक्ति एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा मनरेगा श्रमिक, स्वयं सहायता समूह सदस्य एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया जायेगा कि न सिर्फ वे कार्यक्रम मे प्रतिभाग करें अपितु एक अर्थपूर्ण विचार–विमर्श को प्रतिफलित करेंगे ताकि आवश्यकतानुसार उनका उपयोग नीतिगत निर्णयों में किये जा सके।

7. माह में किसी एक दिन सभी त्रिस्तरीय (ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत) चयनित प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन जनपद स्तर पर आयोजित किया जाए।

8. उक्त सम्पूर्ण कार्यक्रम का उचित दस्तावेजीकरण यथा वीडियो, स्टिल फोटोग्राफी व रिपोर्ट के साथ मीडिया कवरेज–दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, टेलीविजन एवं रेडियो चैनलों में किया जाए व पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 के फेसबुक पेज एव पचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये।

अतः उक्त दिए गए निर्देशों का कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करते हुए प्रगति आख्या विभागीय ई–मेल–rgsa.up@gmail.com पर उपलब्ध करने का कष्ट करें।

संलग्नक उक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रमांशु)
सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, पंचायती राज मंत्रालय/ग्रामीण विकास मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4– सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5– निदेशक, पचायतीराज विभाग/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।
6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

4. जनपदों का यह दायित्व होगा कि समस्त ग्राम पंचायतों से संकल्प पत्र एकत्र कर व्यक्तिगत शपथ–पत्र का विश्लेषण कर राज्य को उपलब्ध करायेगें।

5. शपथ ग्रहण के पश्चात "नवीन भारत मंथन" पर एक गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा, जिसमें सभी ग्राम सभा सदस्य यह विचार करेंगे कि वर्ष 2022 में वे किस प्रकार के भारत को देखना चाहेंगे एव उसमें वह अपना योगदान किस प्रकार देखते हैं?

6. ग्राम्य विकास विभाग से ग्राम्य रोजगार सहायक, सामुदायिक सन्दर्भ व्यक्ति एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा मनरेगा श्रमिक, स्वय सहायता समूह सदस्य एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया जायेगा कि न सिर्फ वे कार्यक्रम मे प्रतिभाग करें अपितु एक अर्थपूर्ण विचार–विमर्श को प्रतिफलित करेंगे ताकि आवश्यकतानुसार उनका उपयोग नीतिगत निर्णयों में किये जा सके।

7. माह में किसी एक दिन सभी त्रिस्तरीय (ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत) चयनित प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन जनपद स्तर पर आयोजित किया जाए।

8. उक्त सम्पूर्ण कार्यक्रम का उचित दस्तावेजीकरण यथा वीडियो, स्टिल फोटोग्राफी व रिपोर्ट के साथ मीडिया कवरेज–दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, टेलीविजन एव रेडियो चैनलों में किया जाए व पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 के फेसबुक पेज एवं पचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये।

अतः उक्त दिए गए निर्देशों का कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करते हुए प्रगति आख्या विभागीय ई–मेल–rgsa.up@gmail.com पर उपलब्ध करने का कष्ट करें।

संलग्नक उक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रमांशु)
सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, पंचायती राज मंत्रालय/ग्रामीण विकास मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4– सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5– निदेशक, पंचायतीराज विभाग/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।
6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (प0), उ0प्र0।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

J.B Singh
(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।